# न्यायालय अति. जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस

मु0नं0 35/2018 तारीख रजू:–31.8.2018

शिवचरण पुत्र रामनिवास जाति मीना निवासी जीरौता तहसील सपोटरा जिला करौली

**बनाम**

1 राजस्थान सरकर जरिये तहसीलदार तहसील सपोटरा जिला करौली

**अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 02.08.2018 न्यायालय श्रीमान तहसीलदार तहसील सपोटरा प्रकरण संख्या 05/2018 उनवानी सरकार बनाम शिवचरण अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट**

## निर्णय

दिनांक 15.4.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण इस प्रकार है कि वकील अपीलान्ट ने एक अपील तहसीलदार सपोटर के निर्णय दिनांक 2.8.2018 से नाखुश होकर बताया गया है कि अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 745 ग्राम जीरौता जमीन पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है पटवारी हल्का द्वारा मनवाने तौर पर रंजीश वश झुटी रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय मे पेश की है। जबाव देही का किसी प्रकार का सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। इस विवादित आराजी पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है। बिना जॉच किये ही रिपोर्ट पेश की गई है। जो झूठी है। उसी के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय कार्यवाही करते हुये सिविल कारावास शास्ती बेदखली से दण्डित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तो के विपरीत है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजीका कर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की गई।

वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई दौराने बहस अपने कथन मे अपील मीमो को दोराते हुये कहा गया है कि मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ते पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है नाही यह प्रकरण पश्चातवर्ती है पटवारी हल्का ने रंजीशबश यह रिपोर्ट की गई है जो गलत है। अपीलान्ट को विधिवत नही सुना गया है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया गया है कि पटवारी हल्का जीरौता ने एक रिपोर्ट राजकीय भूमि गैरमुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 745 रकवा 1 विस्वा पर बाउण्डरी कर कब्जा करते हुये अतिक्रमण किया गया था जिसमे तहसीलदार सपोटरा द्वारा अतिक्रमी/अपीलान्टी को धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। जिसे तामिल कुलिन्दा द्वारा अपीलान्ट को स्वयं की तामिल कराई गई। जिस पर अपीलान्ट स्वंय उपस्थित आया किन्तु किसी प्रकार का

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार सपोटरा तहसील सपोटरा जिला करौली का निर्णय दिनांक 02.08.2018 का अपास्त किया जाता है। तहसीलदार को पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपील अपीलान्ट की मौजूदगी मे विवादित आराजी खसरा नम्बर 745 रकवा 01 विस्वा किस्म गैरमुमकिन रास्ता का मौका देखे यदि मौके पर अपीलान्टी/अतिकमी का अतिकमण पाया जाता है और मौके से अतिकमण नही हटाया जाता है। तो उसके खिलाफ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की संशोधित धारा 91(6) के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.4.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली